



प्रेस विज्ञापित

दिनांक :- 9/5/18

संख्या :- 62

भमुआ. प्रधान सहायकों की बैठक आज जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभा कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें उन्होंने कार्यालय कार्य संस्कृति को विकसित करने के लिये कई महत्वपूर्ण टिप्पण दिये। डी. एम. ने कहा कि प्रधान सहायक माध्यम होते हैं और वे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मियों का ड्रम में फर्मल होना चाहिए और जी।पी.टी. शर्ट नहीं चलेगा। इसके बाद जिलाधिकारी श्री चौधरी ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन करने और इसका रिपोर्ट जिला स्थापना शाखा में देने का निदेश दिया। असमायेजित अग्रिम को 15 दिनों में निष्पादित करने एवं सही माऊचर को जाँचने को कहा। साथ ही कर्मचारी कृत करने का निदेश दिया। डी. एम. ने 15 दिन में अग्रिम राशि को समायेजित करने तथा भविष्य में अग्रिम नहीं देने का आदेश दिया। कैबाबुक (श. फंड-पंजी) को एक महीने में अपडेट कर उसका अंतिम पृष्ठ को स्कैन कर साप्ताहिक रूप से देने का निदेश सभी प्रधान सहायक को दिया। बैठक में ऑफिस को ठीक करने के लिये इंडेक्स रजिस्टर (अनुक्रमणिका पंजी), प्राप्त-निर्गत पंजी, फर्मी का लेखा पुस्तक अकाउंट के साथ अद्यतन करने, फर्मी का फर्म पुस्तक आदि तीन दिनों में ठीक करने का आदेश दिया। उन्होंने कर्मचारियों को माह के प्रथम तिथि को वेतन भुगतान करने का भी निदेश दिया। डी. एम. श्री चौधरी ने परवंड/अंचल व अन्य कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों-पदाधिकारीको का कम्प्यू निवेशन प्लान के अंतर्गत आवासीय पता तथा मोबाइल फोन नम्बर देने का आदेश दिया। लोक-शिक्षण निवाणों और सूचना के अधिकार के मामलों को निष्पादन के लिये पंजी स्थापित करने का निदेश दिया। बैठक में उच्च न्यायालय के एम. जे. सी. और सी. उबलू जे. सी. की समीक्षा कर श्री चौधरी के द्वारा मार्गदर्शन किया गया। साथ ही श्री निरीक्षण पंजी (पदाधिकारी के द्वारा किया गया) का अनुपालन करने का निदेश दिया। अंत में डी. एम. ने कहा कि सिस्टम के अनुसार सुधार कर कार्य करें। जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ)

Ph. 9/5/18
3/5/18